



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| संख्या - 190 राँची, गुरुवार, | 5 चैत्र, 1948 (श०)  |
|                              | 26 मार्च, 2026 (ई०) |

---

#### स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

-----

अधिसूचना

2 फरवरी, 2024

**संचिका सं०-04/आ०-01/२०२०-239--**श्री राजा राम साह, तदेन जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध जिला शिक्षा स्थापना समिति से तथ्यों को छुपाकर श्री श्याम किशोर कुमार, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय ईचातु, दुलमी, रामगढ़ की वांछित अहर्ता नहीं होने के बावजूद अवैध नियुक्ति करने तथा उक्त कार्य कर सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-03(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण करने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए झारखंड पेंशन नियमावली, 2000 के नियम 43 के तहत्विभागीय संकल्प संख्या-2016 दिनांक-23-08-2022 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राज भाषा विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक-129 अनु0 दिनांक-07-11-2022 के द्वारा प्रतिवेदित जाँच निष्कर्ष में श्री राजा राम साह के विरुद्ध सभी आरोप प्रमाणित पाये गये।

उपर्युक्त प्रतिवेदित जाँच निष्कर्ष के सम्यक समीक्षोपरांत नैसर्गिक न्याय के तहत अवसर प्रदान करते हुए विभागीय पत्रांक-2614 दिनांक-17-11-2022 के द्वारा श्री राजा राम साह से द्वितीय कारण पृच्छा की गई, जिसके आलोक में उनके पत्रांक-शुन्य दिनांक-07-12-2022 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया।

सम्यक समीक्षोपरांत द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए “झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 के तहत श्री राजा राम साह के पेंशन से (पूर्व में पेंशन से किए गए कटौती के अतिरिक्त) 05 (पाँच) वर्षों तक 05% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर तदेन विभागीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

उक्त प्रस्ताव पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की सहमति प्राप्त है।

उपर्युक्त लिए गए निर्णय के साथ ही संचालित विभागीय कार्यवाही निष्पादित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(कुमुद सहाय),

सरकार के अपर सचिव।

-----